



प्रेषक,

जे०पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 04 फरवरी, 2026

विषय- संसद/राज्य विधान मण्डल सत्र की अवधि में मण्डल/जिलास्तर पर गठित समस्त समितियों जिनमें राज्य विधान मण्डल/संसद के माननीय सदस्य, सदस्य नामित हों, की बैठकें आयोजित न किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1391/सत्रह-सं-2-18सं(ज)/86, दिनांक 21-09-1998 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये हैं कि मण्डल/जिला आदि विभिन्न स्तरों पर गठित समस्त ऐसी समितियां जिनमें माननीय सांसद अथवा राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्य, सदस्य नामित हों, की बैठकें उस अवधि में आहूत न की जायें, जब लोक सभा/राज्य सभा अथवा राज्य विधान मण्डल का सत्र चल रहा हो। यदि ऐसी बैठकों का आयोजन किया जाना अपरिहार्य हो तो इन बैठकों का आयोजन तभी किया जाय जब लोक सभा/राज्य सभा अथवा राज्य विधान मण्डल का अधिवेशन लगातार तीन दिन के लिये स्थगित हो।

2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का प्रथम सत्र, 2026 दिनांक 09 फरवरी, 2026 से प्रारम्भ हो रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य विधान मण्डल के सत्र के दौरान जिला/मण्डल आदि विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठकों के आयोजन के संबंध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 21-09-1998 में निहित आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे०पी० सिंह-II

प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2026/420/(1)/90-सं-2-2026 तद्विनांक

प्रतिलिपि:-

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त शासनादेश में निहित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों एवं कार्यालयाध्यक्षों एवं मण्डल/जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्राथमिकता पर निर्गत करने का कष्ट करें।
- (2) अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- (3) निजी सचिव, मा० संसदीय कार्य मंत्री को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- (4) निजी सचिव, मा० नेता सदन विधान परिषद को मा० नेता सदन के अवलोकनार्थ।
- (5) प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- (7) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- (8) संसदीय कार्य विभाग के समस्त अधिकारी/समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

मृदुला मिश्रा

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।